पत्रांक / जी0एस0टी0 / 2023–24 / 266 राज्य कर

कार्यालय–आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक 07 जुलाई, 2023

समस्त जोनल अपर आयुक्त, ग्रेड–1,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

व्यापारी तथा अधिवक्ता संगठनों एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित कतिपय तथ्यों द्वारा निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में लाये गये हैं–

1- AI Based Return Scrutiny System के सहयोग से धारा 61 के अन्तर्गत ऐसी नोटिसें जारी की जा रहीं हैं जहां विवादित राशि अत्यंत कम अथवा शून्य है तथा इस प्रकार जारी की जा रही नोटिसों के कारण व्यापारी वर्ग को असुविधा हो रही है।

2. AI Based Return Scrutiny Notices के upload remark पेज के अन्तर्गत व्यापारियों से Irrelevant व्यापारिक विवरणों आदि की मॉग की जा रही है।

उक्त कठिनाई के दृष्टिगत यह निर्देशित किया जाता है कि–

1. ऐसे प्रकरण जहां कोई Petty Amount विवादित राशि के रूप में निहित हो एवं कोई विधिक बिन्दु विवाद में न हों वहां धारा 61 के अन्तर्गत जारी की गयी नोटिसों के पश्चात धारा 73 एवं 74 में की जाने वाली कर निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही न की जाये।

2. AI Based Return Scrutiny Notices में upload remark पेज के अन्तर्गत केवल उन विसंगतियों के प्रेषण हेतु व्यवस्था दी गयी है जो AI Based Notice में उल्लिखित विसंगतियों से भिन्न हैं। इस श्रेणी के अन्तर्गत केवल ऐसे प्रपत्रों की मॉग की जाये जो नोटिस में उठाये गये विसंगतियों से सम्बन्धित हों, किसी भी दशा में अनावश्यक व्यापारिक विवरण एवं प्रपत्रों की मांग न की जाये।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

यह आदेश आयुक्त राज्य कर, उ0प्र0 महोदया के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(हरिलाल प्रजापति)
संयुक्त आयुक्त(जी0एस0टी0)
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।